[2018] 1 एस.सी.आर. 806

कनकलता दास और अन्य

बनाम

नाब कुमार दास और अन्य

सिविल अपील नं. 3018/2008

25 जनवरी, 2018

आर. के. अग्रवाल और अभय मनोहर सप्रे, जेजे।

आदेश: नागरिक प्रक्रिया संहिता, 1908- नियम 10 (2)-उत्तरदाता नंबर 1 ने आदेश 1 नियम 10(2) के अधीन अपीलकर्ताओं-वादी द्वारा दायर उत्तरदाता/प्रतिवादी सं. 2-5 के विरूद्ध बेदखली मुकदमे में सह-वादी बनने के लिए अनुमति मांगी। ट्रायल कोर्ट द्वारा आवेदन खारिज किया गया, हालांकि, उच्च न्यायालय द्वारा अनुमति दी गई- अवधारित किया गया- उचित नहीं वाद मे एक तरफ अपीलकर्ताओ और दूसरी ओर 2 से 5 उत्तरदातागण के बीच विवाद था।

वाद का निर्णय इस सवाल पर निर्भर करेगा कि क्या अपीलकर्ताओं और उत्तरदाता सं. 2 तथा 5 के बीच मकान मालिक और किरायेदार का कोई संबंध मौजूद है। यदि हां, तो क्या उत्तरदाता सं. 2 तथा 5 के निष्कासन का दावा करने के लिए वाद पत्र मे अभिवचन करते हुए दावा दायर किया गया था और उसे स्थापित किए गए थे या नहीं-इन दो मुख्य प्रश्नों को तय करने के लिए, उत्तरदता सं 1 आवश्यक नहीं-उत्तरदाता नंबर 1 न तो आवश्यक पक्षकार है और न ही सूट में एक उचित पार्टी है-तदनुसार, आदेश ट्रायल कोर्ट का पुनर्स्थापित किया गया।

एक आवश्यक पार्टी और उचित पार्टी के बीच अंतर-आयोजितः एक आवश्यक पार्टी वह है जिसके बिना कोई आदेश प्रभावी ढंग से नहीं किया जा सकता है-एक उचित पार्टी वह है जिसकी अनुपस्थिति में एक प्रभावी आदेश दिया जा सकता है लेकिन जिसकी उपस्थिति के लिए आवश्यक है कार्यवाही में शामिल प्रश्न पर पूर्ण और अंतिम निर्णय।

अपील स्वीकार करते हुए, न्यायालय द्वारा अवधारित किया गया कि-

क्या उच्च न्यायालय उत्तरदाता सं.1 द्वारा दायर आवेदन अंतर्गत आदेश 1 नियम 10(2) सी.पी.सी. के तहत अनुमति देने मे न्यायोचित था जिसके द्वारा उत्तरदाता सं॰ 2-5 के निरुद्ध सूट परिसर से निष्कासन के अपीलकर्ताओं द्वारा दायर किए गए निष्कासन सूट में सह-वादी बनने की अनुमति मिलती है।

1. इस अपील में शामिल प्रश्न पर कानून के कुछ अच्छी तरह से तय सिद्धांत हैं, जिन्हें इस अपील में उत्पन्न प्रश्न का निर्णय करते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए। इन सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है। [पैरा 11] [811-सी]

2. सबसे पहले, राज्य किराया अधिनियम के तहत प्रतिवादी (किरायेदार) के खिलाफ वादी (मकान मालिक) द्वारा दायर एक बेदखली मुकदमे में, मकान मालिक और किरायेदार केवल आवश्यक पक्ष हैं। दूसरे शब्दों में, एक किरायेदारी सूट में, केवल दो व्यक्ति सूट के निर्णय के लिए आवश्यक पक्ष हैं, अर्थात्, मकान मालिक और किरायेदार। [पारस 12,13] [811-डी-ई]

3. दूसरा, इस तरह के मुकदमे में मकान मालिक (वादी) को केवल दो चीजों को वादपत्र मे अभिकथित करने और साबित करने की आवश्यकता होती है ताकि वह अपने किरायेदार के खिलाफ किरायेदार के परिसर से बेदखल करने के लिए एक डिक्री का दावा कर सके। पहला, वादी और प्रतिवादी के बीच मकान मालिक और किरायेदार का संबंध मौजूद है और दूसरा, वह आधार (ओं) जिस पर वादी-मकान मालिक ने किराया अधिनियम के तहत प्रतिवादी-किरायेदार के निष्कासन की मांग की है। जब ये दोनों चीजें साबित हो जाती हैं, तो बेदखली का मुकदमा सफल हो जाता है। [पैरा 14] [811-ई-एफ]

4. तीसरा, सूट परिसर के लिए स्वत्व का सवाल निष्कासन सूट के निर्णय के लिए उचित नहीं है। इसका कारण यह है कि यदि मकान मालिक सूट परिसर में अपने स्वत्व को साबित करने में विफल रहता है, लेकिन सूट परिसर के संबंध में मकान मालिक और किरायेदार के संबंध के अस्तित्व को साबित करता है और आगे किसी भी आधार के अस्तित्व को साबित करता है, जिस पर किरायेदारी अधिनियम के तहत बेदखली की मांग की जाती है, बेदखली का मुकदमा सफल होता है। इसके विपरीत, अगर मकान मालिक सूट परिसर में अपना स्वत्व साबित करता है लेकिन सूट परिसर के संबंध में मकान मालिक और किरायेदार के संबंध का अस्तित्व साबित करने मे विफल रेहता है तो, निष्कासन सूट विफल हो जाता है। [पारस 15,16] [811-एफ-एच]

5. चौथा, वादी एक डोमिनस लिटिस अर्थात वाद का मालिक होने के नाते किसी तीसरे व्यक्ति को सूट के लिए एक पार्टी बनाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है, एक वादी या प्रतिवादी, उसकी इच्छा के खिलाफ जब तक कि ऐसा व्यक्ति यह साबित करने में सक्षम नहीं है कि वह सूट के लिए एक आवश्यक पार्टी है और उसकी उपस्थिति के बिना, सूट आगे नहीं बढ़ सकता है और न ही प्रभावी ढंग से तय किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में, कोई भी व्यक्ति वादी को ऐसे व्यक्ति को सूट में सह-वादी या प्रतिवादी बनने की अनुमति देने के लिए मजबूर नहीं कर सकता है। यह तब अधिक होता है जब ऐसा व्यक्ति असमर्थ होता है और दिखाएँ कि कैसे वह सूट के लिए एक आवश्यक या उचित पार्टी है और कैसे उसके बिना उपस्थिति के, सूट न तो आगे बढ़ सकता है और न ही यह तय किया जा सकता है या सूट के प्रभावी निर्णय के लिए उसकी उपस्थिति कैसे आवश्यक है। [पारस 17,18] [812-ए-सी]

6. पाँचवाँ, एक आवश्यक पार्टी वह है जिसके बिना, कोई आदेश प्रभावी ढंग से नहीं किया जा सकता है, एक उचित पार्टी वह है जिसकी अनुपस्थिति में एक प्रभावी आदेश दिया जा सकता है लेकिन जिसकी उपस्थिति कार्यवाही में शामिल प्रश्न पर पूर्ण और अंतिम निर्णय के लिए आवश्यक है। [पैरा 19] [812-सी-डी]

7. छठा, यदि सूट परिसर के सह-मालिक या सह-भूस्वामी हैं, तो कोई भी सह-मालिक या सह-भूस्वामी किरायेदार के खिलाफ बेदखली के लिए मुकदमा दायर कर सकता है। दूसरे शब्दों में, यह आवश्यक नहीं है कि सभी मालिक/भूस्वामी किरायेदार के खिलाफ बेदखली का मुकदमा दायर करने में शामिल हों। [पैरा-20] [812-ई]

8. कानून के सुस्थापित सिद्धांतों के प्रकाश में और आक्षेपित आदेश की वैधता की जांच करने पर, आक्षेपित आदेश कानूनी रूप से टिकाऊ नहीं है और इसलिए अपास्त होने के योग्य है। [पैरा 21] [812-एफ]

9. उत्तरदाता सं 1, जो सूट की संपत्ति के वादी (यहां अपीलकर्ता) के साथ सह-हिस्सेदार या/और सह-मालिक होने का दावा करता है, उत्तरदाता सं॰ 2-5 के खिलाफ अपीलकर्ताओं के निष्कासन सूट में न तो एक आवश्यक और न ही एक उचित पार्टी है। दूसरे शब्दों में, इस तरह के निष्कासन सूट को प्रतिवादी नंबर 1 के पक्ष मुकदमा बनाए बिना भी योग्यता पर आक्षप्त या खारिज किया जा सकता है। [पैरा 22] [812-जी]

10. बेदखली के मुकदमे में, स्वतव का सवाल या अपीलकर्ताओं द्वारा रखे गए हिस्सो की सीमा और उत्तरदाता सं। के विरुद्ध तय नहीं किया जा सकता है और न ही इसके निर्धारण के लिए विषय बनाया जा सकता है। इसका कारण यह है कि यह अपीलकर्ताओं (वादी) और उत्तरदाता नंबर 1 के बीच का मुकदमा नहीं है, जहां सूट परिसर से संबंधित उनके अंतर अधिकारों को समाप्त किया जा सकता है, बल्कि उत्तरदाता सं॰ 2-5 के खिलाफ अपीलकर्ताओं द्वारा दायर एक निष्कासन या सूट परिसर से उनके निष्कासन का मुकदमा है। [पैरा 23,24] [812-एच; 813-ए]

11. सूट में विवाद लिस एक तरफ अपीलकर्ताओं और उत्तरदाता सं॰ 2-5 के बीच है। और सूट में निर्णय इस सवाल पर निर्भर करेगा कि क्या मकान मालिक और किरायेदार के बीच कोई संबंध मौजूद है, अपीलकर्ता और उत्तरदाता सं॰ 2 से 5 के बीच और, यदि हां, तो क्या प्रतिवादी एनओएस के निष्कासन का दावा करने के लिए वादी में याचिका दायर की गई थी। 2 से 5 स्थापित हैं या नहीं। इन दो मुख्य प्रश्नों को तय करने के लिए, है, जो उत्तरदाता सं 1 आवश्यक नहीं है। उत्तरदाता नंबर 1 न तो आवश्यक पक्षकार है और न ही सूट में एक उचित पार्टी है। परिणामस्वरूप, उत्तरदाता द्वारा दायर उपर्युक्त निष्कासन सूट में सीपीसी के आदेश 1 नियम 10 (2) के तहत आवेदन निरस्त किया जाता है। [पैरा 25,26 और 29] [813-बीडी, एफजी]

डॉ. रणबीर सिंह बनाम अशरफी लाल (1995) 6 एससीसी 580:

[1995] 3 सप्ल। एससीआर 847; रूमा चक्रवर्ती बनाम सुधा रानी बनर्जी और अन्य। (2005) 8 एससीसी 140: [2005] 3 सप्ल. एससीआर 1051; उदित नारायण सिंह मालपहरिया बनाम अतिरिक्त सदस्य बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, बिहार और अन्य ए.आई.आर. 1963 786: [1963] सप्ल. एस.सी.आर. 676; कस्तूरी राधाकृष्णन और अन्य बनाम एम चिनियन और अन्य (2016) 3 एससीसी 296: [2016] 1 एससीआर 18-पर निर्भर

केस लॉ संदर्भ-

[1995] 3 सप्ल. एस.सी.आर. 847 पैरा 16 [2005] 3 सप्ल पर निर्भर था। एस.सी.आर. 1051 पैरा 17 [1963] सप्ल पर निर्भर था। एस.सी.आर. 676 पैरा 19 पर निर्भर [2016] 1 एस.सी.आर. 18 पैरा 20 पर निर्भर

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार सिविल अपील नं 3018/2008 कोलकाता उच्च न्यायालय द्वारा सी.ओ. नं. 1759/2006 मे पारित दिनांक 21.09.2006 के निर्णय और आदेश से रंजन मुखर्जी, सलाहकार- अपीलकर्ताओं के लिए।

नाबा कुमार दास, व्यक्तिगत रूप से।

न्यायालय का निर्णय **न्यायधिपति अभयमनोहर सप्रे,जे.**, द्वारा दिया गया-

1. यह अपील कोलकाता उच्च न्यायालय द्वारा सी.ओ.ओ. नंबर 1759/2006 मे पारित अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 21.09.2006 के विरुद्ध योजित की गयी है जिसमें उच्च न्यायालय ने उत्तरदाता नंबर 1 द्वारा दायर आवेदन की अनुमति दी और, लघु न्यायाधीश द्वारा बेदरबली वाद सं. 1615/2000 मे पारित 15.12.2005 के निर्णय और आदेश को उलट दिया। जिसमें ट्रायल कोर्ट ने सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 1 नियम 10 (2) के तहत उत्तरदाता नंबर 1 द्वारा दायर आवेदन को खारिज कर दिया (बाद में इसे "कोड" के रूप में संदर्भित किया गया) लंबित निष्कासन मुकदमे में वादी के रूप में पक्षकार बनाने क लिए।

2. इस अपील में शामिल विवाद छोटा है और यह यहां वर्णित कुछ प्रासंगिक तथ्यों से स्पष्ट होगा।

3. अपीलकर्ता वादी हैं जबकि उत्तरदाता सं. 2 से 5 एक निष्कासन सूट में प्रतिवादी हैं जिनमें से यह अपील उत्पन्न होती है।

4. अपीलकर्ताओं ने उत्तरदाता सं. 2-5 के खिलाफ निष्कासन सूट नंबर 1615/2000 लघुवाद न्यायाधीश कलकत्ता के यहा बेदरवली के लिए मुकदमा दायर किया है। पश्चिम बंगाल किरायेदारी अधिनियम के प्रावधानों के तहत अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए सूट परिसर के किराए, उप-भुगतान, और किराए की गैर-भुगतान के आधार पर उनके निष्कासन के लिए मुकदमा दायर किया गया है। उत्तरदाता सं. 2 से 5 ने उपस्थिति दर्ज की है और वह मुकदमा लड़ रहे हैं जो लंबित है।

5. निष्कासन सूट में, उत्तरदाता सं. 1 यहां आदेश- नियम 10 (2) के तहत एक आवेदन दायर किया गया था जिसमें प्रार्थना की गई थी कि उसे अपीलकर्ताओं के साथ सह-वादी बनने की अनुमति दी जाए। उत्तरदाता सं. 1 ने अपने निहितार्थ की मांग करते हुए आरोप लगाया कि वह अपीलकर्ताओं के परिवार का सदस्य है और ऐसा होने के कारण, न केवल सूट परिसर में, बल्कि सह-मालिकों में से एक के रूप में अन्य परिवार की संपत्तियों में भी अधिकार, स्वत्व और हित है। यह अनिवार्य रूप से इन अभिकथनों आरोपों पर है और उसके हितो की रक्षा करने की दृष्टि से है। इस प्रकार उत्तरदाता सं. ने सूट मे पक्ष मुकदमा बनाए जाने हेतु अपेक्षा की है

6. उत्तरदाता सं. 1 द्वारा पक्ष मुकदमा बनाए जाने के लिए उक्त आवेदन 1 को ट्रायल कोर्ट ने आदेश 15.12.2005 (अनेक्ज़र-पी-7) द्वारा खारिज कर दिया था, लेकिन उच्च न्यायालय द्वारा

उसे स्वीकार किया गया था अपीलकर्ताओ द्वारा उच्च आदेश के खिलाफ इस अदालत में विशेष अनुमति के माध्यम से इस अपील को दायर करने की अनुमति दी गई थी।

7. इसलिए, संक्षिप्त प्रश्न, जो इस अपील में विचार के लिए उठता है, यह है कि क्या उच्च न्यायालय ने उत्तरदाता सं. 1 की ओर से प्रस्तुत आदेश 1 नियम 10 (2) के आवेदन को स्वीकार करने मे न्यायानुमत था? जिससे अपीलकर्ताओं द्वारा दायर किए गए निष्कासन सूट में सह-वादी बनने की अनुमति मिलती है। सूट परिसर से उनके निष्कासन के लिए उत्तरदाता सं. 2 से 5 के विरुद्ध बेदरवली वाद दायर किया गया था।

8. श्री रंजन मुखर्जी, अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता और उत्तरदाता नंबर 1, को व्यक्तिगत रूप से सुना।

9. अपीलकर्ताओं और उत्तरदाता सं. 1, व्यक्तिगत रूप से, जो अकेले इस अपील में प्रतिस्पर्धी उत्तरदाता है और मामले के रिकॉर्ड के अवलोकन पर, हम अपील की अनुमति देने के लिए इच्छुक हैं और उच्च न्यायालय के आक्षपित आदेश को अपास्त करते हुए, ट्रायल कोर्ट के आदेश को बहाल करते हैं। यहाँ टिप्पणियों के साथ।

10. अन्य शब्दों में, हम उत्तरदाता संख्या 1 द्वारा दायर आवेदन को खारिज करने के लिए इच्छुक हैं। अपीलकर्ताओं के निष्कासन के मुकदमे में अंतर्गत आदेश नि 10 (2) सी.पी.सी.

11. इस अपील में शामिल प्रश्न पर कानून के कुछ अच्छी तरह से तय सिद्धांत हैं, जिन्हें इस अपील में उत्पन्न प्रश्न का निर्णय करते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए। इन सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है।

12. सबसे पहले, राज्य किराया अधिनियम के तहत प्रतिवादी (किरायेदार) के खिलाफ वादी (मकान मालिक) द्वारा दायर एक बेदखली मुकदमे में, मकान मालिक और किरायेदार केवल आवश्यक पक्ष हैं।

13. दूसरे शब्दों में, एक किरायेदारी सूट में, केवल दो व्यक्ति सूट के निर्णय के लिए आवश्यक पक्ष हैं, अर्थात्, मकान मालिक और किरायेदार।

14. दूसरा, इस तरह के मुकदमे में मकान मालिक (वादी) को केवल दो चीजों को साबित करने और साबित करने की आवश्यकता होती है ताकि वह अपने किरायेदार के खिलाफ किरायेदार के परिसर से बेदखल करने के लिए एक डिक्री का दावा कर सके। पहला, वादी और प्रतिवादी के बीच

मकान मालिक और किरायेदार का संबंध मौजूद है और दूसरा, वह आधार जिस पर वादी-मकान मालिक ने किराया अधिनियम के तहत प्रतिवादी-किरायेदार के निष्कासन की मांग की है। जब ये दोनों चीजें साबित हो जाती हैं, तो बेदखली का मुकदमा सफल हो जाता है।

15. तीसरा, सूट परिसर के लिए स्वत्व का सवाल निष्कासन सूट के निर्णय के लिए उचित नहीं है। इसका कारण यह है कि यदि मकान मालिक सूट परिसर में अपने स्वत्व को साबित करने में विफल रहता है, लेकिन सूट परिसर के संबंध में मकान मालिक और किरायेदार के संबंध के अस्तित्व को साबित करता है और आगे किसी भी आधार के अस्तित्व को साबित करता है, जिस पर किरायेदारी अधिनियम के तहत बेदखली की मांग की जाती है, बेदखली का मुकदमा सफल होता है।

16. इसके विपरीत, यदि मकान मालिक सूट परिसर में अपना स्वत्व साबित करता है, लेकिन सूट परिसर के संबंध में मकान मालिक और किरायेदार के संबंध के अस्तित्व को साबित करने में विफल रहता है, तो निष्कासन सूट विफल हो जाता है। (डॉ. रणबीर सिंह बनाम अशरफी लाल, 1995 (6) एससीसी 580)।

17. चौथा, वादी होने के नाते एक डोमिनस लिटिस अथवा वाद के मालिक को किसी तीसरे व्यक्ति को सूट के लिए एक पार्टी बनाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है, एक वादी या प्रतिवादी, उसकी इच्छा के खिलाफ जब तक कि ऐसा व्यक्ति यह साबित करने में सक्षम नहीं है कि वह सूट के लिए एक आवश्यक पार्टी है और उसकी उपस्थिति के बिना, सूट आगे नहीं बढ़ सकता है और न ही प्रभावी ढंग से तय किया जा सकता है।

18. दूसरे शब्दों में, कोई भी व्यक्ति वादी को ऐसे व्यक्ति को सूट में सह-वादी या प्रतिवादी बनने की अनुमति देने के लिए मजबूर नहीं कर सकता है। यह तब अधिक होता है जब ऐसा व्यक्ति यह दिखाने में असमर्थ होता है कि वह सूट के लिए एक आवश्यक या उचित पार्टी कैसे है और उसकी उपस्थिति के बिना, सूट न तो आगे बढ़ सकता है और न ही यह तय किया जा सकता है या प्रभावी के लिए उसकी उपस्थिति कैसे आवश्यक है सूट का निर्णय। (रूमा चक्रवर्ती बनाम सुधा रानी बनर्जी और अन्य, 2005 (8) एस.सी.सी. 140)

19. पाँचवाँ, एक आवश्यक पार्टी वह है जिसके बिना, कोई आदेश प्रभावी ढंग से नहीं किया जा सकता है, एक उचित पार्टी वह है जिसकी अनुपस्थिति में एक प्रभावी आदेश दिया जा सकता है लेकिन जिसकी उपस्थिति कार्यवाही में शामिल प्रश्न पर पूर्ण और अंतिम निर्णय के लिए आवश्यक

है। (उदित नारायण सिंह मालपहरिया बनाम अतिरिक्त सदस्य बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, बिहार व अन्य, ए.आई.आर. 1963 786)

20. छठा, यदि सूट परिसर के सह-मालिक या सह-भूस्वामी हैं, तो कोई भी सह-मालिक या सह-भूस्वामी किरायेदार के खिलाफ बेदखली के लिए मुकदमा दायर कर सकता है। दूसरे शब्दों में, यह आवश्यक नहीं है कि सभी मालिक/भूस्वामी किरायेदार के खिलाफ बेदखली का मुकदमा दायर करने में शामिल हों। (देखें-कस्तूरी राधाकृष्णन और ओआरएस। बनाम एम। चिनियन और अन्य, 2016 (3) एससीसी 296)

21. कानून के उपर्युक्त अच्छी तरह से प्रतिपादित बसे सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए और आक्षेपित आदेश की वैधता की जांच करने पर, हम पाते हैं कि आक्षेपित आदेश कानूनी रूप से टिकाऊ नहीं है और इसलिए अपास्त होने के योग्य है।

22. हमारे विचार, मे उत्तरदाता सं. 1, जो सूट की संपत्ति के वादी (यहां अपीलकर्ता) के साथ सह-हिस्सेदार या/और सह-मालिक होने का दावा करता है, उत्तरदाता सं. 2-5 के खिलाफ अपीलकर्ताओं के निष्कासन सूट में न तो एक आवश्यक और न ही एक उचित पार्टी है। दूसरे शब्दों में, इस तरह के निष्कासन सूट को उत्तरदाता नंबर 1 के पक्ष मुकदमा बनाए बिना भी योग्यता पर आक्षप्त या खारिज किया जा सकता है।

23. बेदखली सूट, स्वतव का सवाल या अपीलकर्ताओं द्वारा रखे गए हिस्सो की सीमा और उत्तरदाता सं. सूट परिसर में एक दूसरे के खिलाफ फैसला नहीं किया जा सकता है और न ही इसके निर्धारण के लिए विषय बनाया जा सकता है।

24. इसका कारण यह है कि यह अपीलकर्ताओं (वादी) और प्रतिवादी नंबर 1 के बीच का मुकदमा नहीं है, जहां सूट परिसर से संबंधित उनके अंतर अधिकारों को समाप्त किया जा सकता है, बल्कि उत्तरदाता सं. 2-5 एनओएस के खिलाफ अपीलकर्ताओं द्वारा सूट परिसर से उनके निष्कासन के लिए मुकदमा है।

25. इसलिए, सूट में विवाद एक तरफ अपीलकर्ताओं और उत्तरदाता सं. 2-5 के बीच है। और सूट में निर्णय इस सवाल पर निर्भर करेगा कि क्या अपीलकर्ताओं और उत्तरदाता सं. 2-5 के बीच मकान मालिक और किरायेदार का कोई संबंध मौजूद है। और, यदि हां, तो क्या उत्तरदाता सं. 2-

5 के निष्कासन का दावा करने के लिए वादपत्र मे अभिनयन किए गए और वे स्थापित हैं या नहीं इन दो मुख्य प्रश्नों को तय करने के लिए, उत्तरदाता सं. 1 की उपस्थिति आवश्यक नहीं है।

26. इन कारणों से, हम इस विचार के हैं कि प्रतिवादी सं. 1, सूट में न तो एक आवश्यक और न ही एक उचित पार्टी है।

27. हालांकि, यह स्पष्ट करें कि कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, यदि ट्रायल कोर्ट द्वारा सूट की संपत्ति पर स्वत्व के सवाल को छूता है, तो उत्तरदाता सं. 1 पर बाध्यकारी नहीं होगा। सूट के परिणाम की परवाह किए बिना और उत्तरदाता सं. 1 अपीलकर्ताओं के खिलाफ अपने अधिकार, स्वत्व और सूट परिसर में और किसी भी अन्य संपत्तियों में हित की घोषणा के लिए एक स्वतंत्र दीवानी मुकदमा दायर करने के लिए स्वतंत्र होगा, यदि ऐसा है, और विभाजन का दावा करता है और उसके हिस्से पर अलग से चिन्हित किया जाएगा।

28. पूर्वगामी चर्चा के मद्देनजर, अपील सफल होती है और स्वीक्रती की जाती है। आक्षेपित आदेश को अपास्त किया जाता है और ट्रायल कोर्ट के आदेश को पुनर्स्थापित किया जाता है।

29. एक परिणाम, उत्तरदाता सं. 1 द्वारा दायर उपर्युक्त निष्कासन मुकदमे आवेदन अंतर्गत में संहिता के आदेश 1 नियम 10 (2) सी.पी.सी. को खारिज किया जाता है।

30. ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया जाता है कि वह कानून के अनुसार गुणदोष के आधार पर निष्कासन का फैसला तेजी से करे।

अपील स्वीकृत की गयी।

अंकित ज्ञान

Jai Shankar Mishra